

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 197/2015

वादी :-

बनाम

प्रतिवादी :-

1. छीतरमल पुत्र हीराराम  
जाति-गुर्जर, निवासी- बलुन्दा  
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. पेमाराम पुत्र हीराराम  
2. इंगाराम पुत्र हीराराम फौत  
के कायम मुकाम :-  
2/1 शिवलीदेवी पत्नि इंगाराम  
2/2 सुखाराम पुत्र इंगाराम  
2/3 सूर्यवीर पुत्र इंगाराम  
2/4 सोनू पुत्री इंगाराम  
जातियान-गुर्जर, निवासी- बलुन्दा  
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रज्जु: 13/06/2015


उपरिस्थितः 1. वादी स्वयं उपस्थित ।  
2. प्रतिवादी उपस्थित।

--: निर्णय :-

दिनांक:- 13/06/2015

राज्य सरकार के आदेशानुसार अटल सेवा केन्द्र-बलुन्दा पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट" में वादी ने एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा-बलुन्दा, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 164/1 रकबा 25-11 के बीघा की भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि में वादी का नाम सीताराम पुत्र हीराराम दर्ज हैं। अज्ञानतावश दस्तावेजात में सीताराम पुत्र हीराराम दर्ज करवा दिया था जो वादी का बोलता नाम था। जबकि वादी का वास्तविक नाम छीतरमल पुत्र हीराराम सही हैं। वाद-पत्र के तार्द में दस्तावेजात छीतरमल पुत्र हीराराम का चुनाव फोटो परिचय पत्र संख्या RJ/21/159/207468 दिनांक 30/10/2008, आधार कार्ड संख्या 771320729542 एवं राशन कार्ड संख्या 009036601738 दिनांक 14/11/2013 की छाया प्रतियाँ भी प्रस्तुत की, जिससे वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि होती हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने एवं वादी का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम सीताराम पुत्र हीराराम के स्थान पर छीतरमल पुत्र हीराराम दर्ज किये जाने की ईशतदुआ की हैं।


इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। आज दिनांक 13/06/2015 को ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने तहरीरी राजीनामा भी इसी आशय का पेश कर विवादित आराजी की भूमि में वादी का नाम वास्तविक रूप से समझाईस से आपस में राजीबाजी हो जाने तथा दर्ज गलत नाम सीताराम पुत्र हीराराम के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का वास्तविक नाम छीतरमल पुत्र हीराराम दुरुस्त दर्ज किये जाने की स्वीकारोक्ति दी हैं। लिहाजा बाद पहिचान पृथक से राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)


पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मजमा-ए-आम लोक अदालत शिविर- बलुन्दा में जानकारी भी प्राप्त की गई। प्रस्तुत तस्दीकसुदा राजीनामा एवं उक्त दस्तावेजात अनुसार सीताराम पुत्र हीराराम गलत रूप से दर्ज होना तथा वादी का वास्तविक नाम छीतरमल पुत्र हीराराम होना बखूबी साबित हैं। जिससे वादी का वाद माफिक राजीनामा एवं साक्ष्य सबूत के उक्त दस्तावेजात स्वीकार किया जाना तथा वादी के गलत दर्ज नाम सीताराम पुत्र हीराराम जाति- गुर्जर निवासी- बलुन्दा के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वास्तविक सही नाम छीतरमल पुत्र हीराराम दुरुस्त करवाया जाना उचित समझते हैं।

**--:: आदेश ::--**

अतः माफिक राजीनामा एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा- बलुन्दा, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 164/1 रकबा 25-11 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम सीताराम पुत्र हीराराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम छीतरमल पुत्र हीराराम दुरुस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता है। जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी से रोका जाता है। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

  
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 13/06/2015 को आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट  
2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र बलुन्दा में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
जिला.पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत

:- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास

:- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :-

बनाम

प्रतिवादी :-

1. छीतरमल पुत्र हीराराम  
जाति-गुर्जर, निवासी- बलुन्दा  
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)


1. पेमाराम पुत्र हीराराम
2. इंगाराम पुत्र हीराराम फौत  
के कायम मुकाम :-  
2/1 शिवलीदेवी पत्नि इंगाराम  
2/2 सुखाराम पुत्र इंगाराम  
2/3 सूर्यवीर पुत्र इंगाराम  
2/4 सोनू पुत्री इंगाराम  
जातियान-गुर्जर, निवासी- बलुन्दा  
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत घोषणा, व स्थाई  
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 197/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-..... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है माफिक राजीनामा एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा- बलुन्दा, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 164/1 रकबा 25-11 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम सीताराम पुत्र हीराराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम छीतरमल पुत्र हीराराम दुरुस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता है। जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी से रोका जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....  
-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।  
बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र  
में आज तारीख 13/06/2015 को जारी किया गया ।



उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)

रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
मुद्धई		मुद्धायलाह	
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीशनर	
फीस कमीशनर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	

मिजान:-  
मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।